2453

प्रेषक, संख्या / ||-2007-07(24)/2004

एन० रवि शंकर,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग उत्तरांचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग

दिनांक, देहरादून, 10 -7- जून/07

विषय– जनपद देहरादून में प्रस्तावित संयुक्त जांच चौकी आशारोड़ी (गोहब्बेवाला) के अन्तर्गत आने वाली सिंचाई विभाग की भूमि को वाणिज्य कर विभाग को हस्तान्तरित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड देहरादून के पत्र सं0 48/न.ख.दे./दिनांक 8–1–07 में अंकित सहमति/संस्तुति को दृष्टिगत रखते हुए एवं अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 10–4–2007 की बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णयानुसार वित्त अनुभाग–3 उत्तरांचल शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 260/वि0अनु0/2002/दिनांक 15–2–2002 में निहित प्राविधानों/उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तो के अधीन सिंचाई विभाग के स्वामित्व की ग्राम आशारोड़ी (मोहब्बेवाला) में खसरा नं0 196 में स्थित भूमि जिसका क्षेत्रफल लगभग 1200 वर्गमीटर है, में से जल संस्थान को पेयजल नलकूप हेतु दी गयी लगभग 100 वर्गमीटर भूमि को छोड़कर, अवशेष (1100 वर्गमीटर) भूमि को जनहित में वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड को संयुक्त जांच चौकी की स्थापना हेतु हस्तान्तरित किये जाने की श्री राज्यपाल एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

शर्तें:–

1– उक्त भूमि को वाणिज्य कर विभाग को इस प्रतिबन्ध के साथ हस्तान्तरित करना प्रस्तावित है कि वाणिज्य कर विभाग को प्रश्नगत स्थल के एक छोर पर अथवा पृष्ठ भाग पर अधिग्रहित की गयी भूमि पर उक्त गोदाम को अस्थाई तौर पर स्थापित किया जायेगा।

2– सिंचाई विभाग की अन्य सामग्री हेतु जल विद्युत निगम के कार्यालय परिसर महारानी बाग, उज्जवल भवन, एम0एस0रोड़ देहरादून में स्थित कार्यालय परिसर की भूमि (नलकूप खण्ड की बाउण्ड्री से लगी रिक्त भूमि) अन्य निष्प्रयोज्य सामग्री हेतु उक्त शासनादेश दिनांक –7–2007 के अनुसार उपयोग में लाई जायेंगी।

क्रमशः.........2

3– उक्त भूमि वाणिज्य कर को संयुक्त जॉच चौकी की स्थापना हेतु दी जा रही है, परन्तु इस भूमि को किसी अन्य विभाग को हस्तान्तरित करने का अधिकार वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड को नहीं होगा।

3– यदि उक्त भूमि की भविष्य में वाणिज्य कर विभाग उत्तराखण्ड को आवश्यकता नहीं होगी, तो भूमि सिंचाई विभाग को यथा स्थिति में वापिस की जायेगी, जिस पर किसी प्रकार का शुल्क देय नही होगा।

4– उक्त भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जायेगी, तो उसके लिए मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

भवदीय,

(एन0 रवि शंकर)
प्रमुख सचिव।

2433
सं0 /II–2007–07(24)/04 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2– निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5– प्रमुख सचिव, वित्त, विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6– सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7– सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8– अपर आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9– महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल विद्युत निगम, महारानी बाग, देहरादून।
10– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11– जिलाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड।
12– महा प्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13– अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, देहरादून।
14– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।